हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शिशमबाडा देहरादून,
पिन– 248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेबसाईट:www.hnbumu.ac.in ईमेलः info.hnbumu@gmail.com

महत्वपूर्ण सूचना

नीट पी0जी0–2022 उत्तराखण्ड केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गयी गयी काउन्सिलिंग में राज्य पी0एम0एच0एस0 उत्तराखण्ड के नियमित चिकित्सकों/अन्य कार्यरत चिकित्सकों को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त दूर्गम क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर महानिदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित करा कर काउन्सिलिंग पोर्टल/ई–मेल के माध्यम से जमा किया जाना था।

अभ्यर्थियों द्वारा अल्प अवधि तथा दुर्गम क्षेत्र होने के कारण केवल संबंधित चिकित्सा अधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित कर 10 से 30 प्रतिशत का लाभ लिये जाने हेतु काउन्सिलिंग में आवेदन किया गया है। काउन्सिलिंग में चिकित्सा अधिकारी/सक्षम अधिकारी के आधार पर अभ्यर्थियों को 10 से 30 प्रतिशत का लाभ दिया गया एवं काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन की कार्यावाही की गयी है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय महानिदेशक द्वारा निर्गत विभागीय अनापत्ति तथा दुर्गम क्षेत्र के लाभ का प्रमाण पत्र मूल रुप से आवंटित संस्थान जमा करवाना अनिवार्य है।

अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों जो राज्य पी0एम0एच0एस0 उत्तराखण्ड के नियमित चिकित्सकों/अन्य कार्यरत चिकित्सकों (In Service) को 10 से 30 प्रतिशत का लाभ मिला है को उक्त प्रमाण पत्र को जमा करने का अन्तिम अवसर दिनांक 07.11.2022 सायं 05:00 बजे तक प्रदान किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित समय में प्रतिहस्ताक्षर नही करवाया जाता है। तो उनको दिये गये लाभ से वचित किया जायेगा, आवंटित सीट को निरस्त कर मॉप–चरण काउन्सिलिंग में सम्मिलित किया जायेगा। संबंधित संस्थान उक्त के संबंध में अभ्यर्थी से शपथ पत्र प्राप्त कर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकता है।

नोटिस प्रकाशन तिथिः– 02.11.2022

(प्रो0 विजय जुयाल)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की विभागीय चयनित अभ्यर्थियों को दुर्गम क्षेत्र में कार्य के प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने का कष्ट करें, जिससे अभ्यर्थियों को प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकते है।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य राजकीय/निजी मेडिकल को इस आशय से प्रेषित की अभ्यर्थी को प्रवेश संबंधी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(प्रो0 विजय जुयाल)
परीक्षा नियंत्रक

Scanned with Oken Scanner